



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940

No. 120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

सं. 9/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 136(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना सं. 34/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा में, छठा परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:-

“ परंतु यह भी कि, जनवरी, 2019 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 22 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि, जनवरी, 2019 मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान जम्मू और काश्मीर राज्य में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 28 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी । ”

[फा. सं. 20/06/16/2018 - जीएसटी (भाग-II)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.अवर सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना सं. 34/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018, भारत के राजपत्र, में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 70/2018 तारीख 31 दिसंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 1247 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

No. 9/2019-Central Tax

G.S.R. 136(E).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification number 34/2018 –Central Tax, dated the 10th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.761(E), dated the 10th August, 2018, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the sixth proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of January, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 22nd February, 2019:

Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of January, 2019 for registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 28th February, 2019.”.

[F. No.20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy

Note: - The principal notification number 34/2018 –Central Tax, dated the 10th August, 2018 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 761(E), dated the 10th August, 2018 and was last amended by notification no. 70/2018, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number 1247 G.S.R. (E), dated the 31st December, 2018.